राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 287/2014/चुरु.

मैसर्स बोकडिया एन्टरप्राइजेज प्रा०लि०, एफ–62, रोड़–3, रिको इण्ड. एरिया, चुरु. ....अपीलार्थी.

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, प्रतिकरापवंचन, आबूरोड़. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जमील जई, उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/10/2017

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 310/आरवेट/चुरु/12–13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 26.12.2013 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–प्रथम, करापवंचन, आबूरोड़ (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 09.08.2012 को ट्रांसपोर्ट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.10/जी 1585 की जांच की जाने पर वाहन में परिवहनित माल भिवन्डी से चुरु के लिये जाना बताया। व्यवसायी द्वारा सिन्थेटिक रबड़ परिवहनित किया जा रहा था, उक्त जांच में वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित माल के साथ घोषणा प्रपत्र वैट 47 संलग्न नहीं था। नोटिस के जवाब में व्यवहारी द्वारा दिनांक 09.08.2012 को वैट–47 नं0 1223931 जारी कराते हुए सशक्त अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया, व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुए अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति रू0 2,82,024/– आरोपित की, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील को अस्वीकारते हुए अपीलीय अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 26.12.2013 पारित किया। उक्त आदेश को अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में चुनौती दी गई है।

3. उभयक्षीय बहस सुनी गई।

लगातार.........2

4. उक्त प्रकरण में कर निर्धारण आदेश दिनांक 21.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2013 का अदम हाजिरी का अदम पैरवी में खारिज किया गया है। अपीलीय आदेश में यह उल्लेख है कि दिनांक 26.12.2013 के लिये अपील सुनवाई हेतु जिारी किया गया था परन्तु कोई उपस्थित नहीं होने से अपील को अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से न्यायहित में एक भी अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आधारों पर निर्णय नहीं किया गया है अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर पुनः सुनवाई कर अपील निर्णय किया जाने का निर्देश दिया जाता है। अपीलार्थी अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 20.11.2017 को उपस्थित होकर पैरवी करें।

फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य